


16⁴/₂₀

अपीलांत के आधिवाला उपायिते
डिगर रेसपो. की ललकी हेतु अधिवक्ता
अपीलांत द्वारा साबिका आदेश
की पालना नही की गई, इस
हेतु आधिवाला अपीलांत को पर्याप्त
अवसर दिया गया है। लिहाजा
अपीलांत की यह अपील अदम
पालना न्यायालय आदेश में आदिष
की जाती है। पत्रावली केसल
शुमार होकर नम्बर 6 कम हो,
एव साबिक दफतर हौ।


जिला कलक्टर
बाड़मेर

